

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार 2018/केम्प कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार (आर०ए०एस०)

उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / / 2018/

दायर दि० 11-5-18

फैसल दि० 11-5-18

श्री अनवान
बनाम

श्रीमधारी तहसीलदार

श्री हरिश पिता देव कठा
(वादी) पार्षदा पाडवा

सागवाडा
(प्रतिवादी)

वादी श्री हरिश | देव कठा पार्षदा ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा पाडवा के खाता नम्बर 1371 जमाबन्दी सं० 2013-76

में अंकित स्वयं/पिता का नाम हरि | देव कठा पार्षदा
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम

हरिश | देव कठा है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम हरि पिता

दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।

प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम हरिश | देव कठा

पार्षदा होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश दिया
जाता है कि मोजा पाडवा की जमाबन्दी संवत् 2013-76 के
खाता संख्या 1371 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम

हरिश | देव कठा में संशोधन कर सही नाम
हरिश | देव कठा दर्ज रेकार्ड किया जावे ।

निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा